राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर

क्रमांक प.2(3)(ब)(7895)आ.कृ/ 1155-1382 दिनांक : 15/2/2021

सूचना

कृषि आयुक्तालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 627-998 दि0 08.02.2021 एवं 577-626 दि0 08.02.2021 द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में नव-नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों (गैर अनुसूचित क्षेत्र-120+61 एवं अनुसूचित क्षेत्र-14) का **प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.1(1)प्र.सु./अनु-3/2020 पार्ट दि0 18.05.2020** के अनुसार रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाना है। प्रशासनिक सुधार विभाग के उक्त परिपत्र के अनुसार In Person Counseling में सर्वप्रथम प्राथमिकता से **दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, पति-पत्नी प्रकरण, शहीद परिवार के आश्रित, माता-पिता अथवा पति-पत्नी असाध्य रोग से ग्रसित आदि** के अभ्यर्थियों को वरियताक्रम से बुलाया जाकर उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर पदस्थापन किया जाना है। इस हेतु नव-नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों के आवेदन फार्म में उपलब्ध श्रेणी/सूचना के अलावा निम्न श्रेणी में आने वाले नव-नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा नीचे वर्णित अनुसार सक्षम स्तर से जारी दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने है :-

1. **पति-पत्नी प्रकरण (पति/पत्नी के राजकीय सेवा में कार्यरत होने की स्थिति में उसके कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र।**
2. **शहीद परिवार के आश्रित (सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र)**
3. **माता-पिता अथवा पति/पत्नी असाध्य रोग से ग्रसित (सक्षम स्तर का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र)**

अतः **नियुक्ति आदेश दि0 08.02.2021 के अनुसरण** में उक्त तीनों श्रेणियों में से किसी श्रेणी में आने वाले नव-नियुक्त कृषि पर्यवेक्षक **सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र**, जो उनके लिए लागू हो, संबंधित कार्यालय, जहां पर वे **फिल्ड प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति** दे रहे है, में **दिनांक 18.02.2021 दोपहर 2.00 बजे तक संलग्न प्रारूप-अ में** प्रस्तुत करावें, ताकि तद्नुसार In Person Counseling हेतु उनकी श्रेणी का निर्धारण किया जा सकें। **निर्धारित अवधि/समय तक** उक्त श्रेणी से संबंधित दस्तावेजों की प्रति संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने पर उनकी श्रेणी के बारे में बाद में कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं नियमानुसार पदस्थापन कार्यवाही की जावेगी।

संलग्न : प्रारूप-अ।

(डॉ0 ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि एवं
पंचायती राज (कृषि)

क्रमांक प.2(3)(ब)(7895)आ.कृ/ 1155-1382 दिनांक : 15/2/2021

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-</u>

1. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, मु0 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
2. उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद, अजमेर/अलवर/बांसवाडा/बारां/बाडमेर/भरतपुर/भीलवाडा/बीकानेर/बून्दी/चित्तोडगढ/दौसा/धौलपुर/डूंगरपुर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ/जयपुर/जालौर/झालावाड/झुंझुनू/जोधपुर/करौली/कोटा/नागौर/पाली/प्रतापगढ/राजसमन्द/सवाई माधोपुर/सीकर/टोंक/उदयपुर को भेजकर लेख है कि आपके कार्यालय में उपस्थिति दे रहे नव-नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों **(जिस पर बिन्दु सं0 1 से 3 लागू हो)** से **संलग्न प्रारूप-अ में सूचना व उचित दस्तावेज प्राप्त कर संकलित सूचना** कृषि आयुक्तालय को **दि0 19.02.2021 को** ई-मेल आई.डी. adagr.admn.agri@rajasthan.gov.in पर भिजवाने का कष्ट करें। **उक्त नियुक्ति आदेशों के अनुसरण में आपके कार्यालय में उपस्थिति दे रहे नव-नियुक्त कृषि पर्यवेक्षकों पर यदि उक्त तीनों श्रेणी लागू नहीं हो तो सूचना शून्य की भिजवायें।**
3. **नियुक्ति आदेश क्रमांक 627-998 दि0 08.02.2021 एवं 577-626 दि0 08.02.2021** द्वारा नियुक्त नव-नियुक्त कृषि पर्यवेक्षक (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी), जिन पर उक्त तीनो श्रेणियों में से कोई एक या अधिक लागू हो, को पालनार्थ।
4. आरक्षी।

(सीताराम जाट)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)

प्रारूप–अ

In Person Counseling में प्राथमिकता निर्धारण हेतु भरे जाने वाला प्रारूप

क्र.सं.	विवरण	
1	नव–नियुक्त कृषि पर्यवेक्षक का नाम	
2	पिता का नाम	
3	रोल नम्बर	
4	जन्मतिथि	
5	चयन क्रमांक (रैंक)	
6	चयन का क्षेत्र (नॉन टीएसपी/टीएसपी)	
7	कार्यालय का नाम, जहां उपस्थिति दी जा रही है	
8	मोबाईल नम्बर	
9	नव–नियुक्त कृषि पर्यवेक्षक की विशेष श्रेणी अ– पति–पत्नी प्रकरण (पति या पत्नी में से कोई एक राजकीय सेवा में होने की स्थिति में उसके कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र) ब– शहीद परिवार के आश्रित माता–पिता (सक्षम स्तर का प्रमाण पत्र) स– माता–पिता अथवा पति–पत्नी असाध्य रोग से ग्रसित (सक्षम स्तर का चिकित्सकीय प्रमाण पत्र)	

हस्ताक्षर नव–चयनित कृषि पर्यवेक्षक